

## क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भुगतान सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद आगरा में बॉईपुर/बाबरपुर/मऊ वन ब्लॉक में गंगाजल परियोजना इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा द्वारा प्रस्तावित गंगाजल परियोजना से सम्बन्धित पाईप लाइन बिछाने हेतु प्रभावित 10.22375 हेठो आरक्षित वन भूमि के समतुल्य क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग/शासन द्वारा जितनी धनराशि की मांग की जायेगी उसका भुगतान गंगाजल परियोजना इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा द्वारा वन विभाग को नियमानुसार किया जायेगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण धनराशि में यदि भविष्य में कोई बढ़ोत्तरी होती है तो उसका भुगतान परियोजना प्रबन्धक, गंगाजल इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा द्वारा वन विभाग को किया जायेगा।

9  
14/03/2018  
(आर0 के0 पंकज)  
परियोजना प्रबन्धक  
गंगा जल परियोजना इकाई,  
उ0प्र0 जल निगम, आगरा